## ग्राम पंचायत ब्रंगाल, विकास खण्ड व तहसील सलूणी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

**अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017**

**भाग-एक**

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ब्रंगाल विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री कमल कुमार | 23-01-11 से 22-01-16 |
| 2. | श्री तारु राम | 23-01-16 से लगातार |

**सचिव :**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री धीरज कुमार | 1-04-14 से लगातार |

**{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

| क्रम.संख्या | पैरा स० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशी {₹लाखों में } |
|---|---|---|---|
| 1. | 6. | पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना। | 0 .19 |
| 2. | 7 | अनुदान राशियों का अवरोधन। | 20.46 |
| 3 . | 8 | निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय करने बारे। | 1.28 |
| 4. | 10 | कनिष्ठ अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना। | विवरणानुसार |
| 5 . | 11 | औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे। | 7.89 |
| 6 . | 12 | निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना | 7.80 |

## भाग – दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत ब्रंगाल , विकास खण्ड सलूणी , तहसील सिहुन्ता , जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25-11-2017 से 28-11-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय ब्रंगाल में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /15 ,09/15 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 09/14,06/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ब्रंगाल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:280 दिनांक 28-11-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रंगाल से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत ब्रंगाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

**{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत ब्रंगाल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2014-15** | 140802 | 81552 | **222354** | 18861 | **203493** |
| **2015-16** | 203493 | 87914 | **291407** | 39281 | **252126** |
| **2016-17** | 252126 | 87839 | **339965** | 112701 | **227264** |

**{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत ब्रंगाल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2014-15** | 955634 | 3029384 | **3985018** | 2157329 | **1827689** |
| **2015-16** | 1827689 | 1423090 | **3250779** | 2208512 | **1042267** |
| **2016-17** | 1042267 | 4210947 | **5253214** | 3207135 | **2046079** |

**31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

| क्रम सं | बैंक का नाम | खाता सं | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | HPSCB Salooni | 18910103730 | 2132995 |
| 2. | ----do------ | 18910107751 | 129901 |
| 3. | HGB | 99041300404358 | 10447 |
| | | **TOTAL** | **2273343** |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी :-**

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹2273343

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹2273343

**4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-**

ग्राम पंचायत ब्रंगाल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ वही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था। अत:पंचायत द्धारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract ) को तैयार न करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके

न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

**6 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹19400 की वसूली शेष थी ।

**गृहकर :-**

| **वर्ष** | **आ. शेष** | **मांग** | **योग** | **प्राप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 18940 | 9700 | 28640 | 0 | 28640 |
| 2015-16 | 28640 | 9700 | 38340 | 0 | 38340 |
| 2016-17 | 38340 | 9700 | 48040 | 28640 | 19400 |

**7 अनुदान ₹20.46 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-1** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹2046079** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ब्रंगाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत : अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए

**8 माप पुस्तिका अनुसार निर्माण सामग्री का कम उपयोग होने के कारण ₹1.28 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यो की मापपुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण सामग्री का इन निर्माण कार्यों हेतु खरीदी निर्माण सामग्री का कम उपयोग किया गया जबकि बकाया निर्माण सामग्री को स्टॉक में भी नहीं दर्शाया गया था जो कि एक गंभीर अनियमितता है।

(i)C/O DRAIN WORK UPRLA SARINI :-

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा | माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा | अधिक खरीदी निर्माण सामग्री | क्रय की गई दर | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 पृष्ठ 6-7 | 71 बैग सीमेंट<br>12.85m3 रेत<br>20m3 बजरी | 44 बैग<br>4.71m3<br>8.93m3 | 27 बैग<br>8.14m3<br>11.07 | 355प्रति बैग<br>1750 प्रति cum<br>1750 प्रति cum | 9585<br>14245<br>19372 |
| | | | | कुल जोड़ | **43202** |

(ii)C/O PIPE DRAIN VILLAGE HALED :-

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा | माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा | अधिक खरीदी निर्माण सामग्री | क्रय की गई दर | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 पृष्ठ 9-10 | 36 बैग सीमेंट<br>9.26m3 रेत<br>15m3 बजरी | 34बैग सीमेंट<br>3.65m3<br>6.91m3 | 2 बैग सीमेंट<br>5.61m3<br>8.07 m3 | 355 प्रति बैग<br>1765 प्रति cum<br>1765प्रति cum | 710<br>9902<br>14243 |
| | | | | कुल जोड़ | **24855** |

**(iii)C/O DRAIN AT MANDROTI :-**

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा | माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा | अधिक खरीदी निर्माण सामग्री | क्रय की गई दर | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 पृष्ट 8-9 | 120 बैग सीमेंट<br>16.27m3 रेत<br>25.54m3बजरी | 61बैग सीमेंट<br>6.49m3 रेत<br>12.29m3बजरी | 59बैग सीमेंट<br>9.78m3रेत<br>13.25m3बजरी | 330 प्रति बैग<br>1750 प्रति cum<br>1750प्रति cum | 19470<br>17115<br>23188 |
| | | | | जोड़ | **59773** |
| | | | | कुल जोड़(a+b+c) | **127830** |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों में माप पुस्तिका के तुलनात्मक अधिक निर्माण सामग्री खरीदी गई व बकाया निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं दर्शया

गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: अधिक क्रय की गई निर्माण सामग्री अगर किसी अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग की गई है तो अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए अन्यथा उत्तरदायी से उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए 1।

**9 सीमेंट की 508 बोरियां को प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार 508 सीमेंट की बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदी गई थी सीमेंट की खरीद प्राइवेट फर्म से तभी की जा सकती थी जब यह नजदीकी सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो सीमेंट उपलब्ध न होना व अनापति प्रमाण पत्र पत्र निगम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु खरीद प्राइवेट फर्म से की गई है जोकि अनुचित है ,सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**10 कनिष्ठ अभियंता के स्तर के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा कनिष्ठ अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**11 . औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 7.89 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹788745** के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ब्रंगाल को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 **क्रय की गई ₹ 7 .80 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.04.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹779745** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ब्रंगाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग सबंधी अभिलेख तैयार कर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस राशि की उत्तरदायी से वसूली की जाए।

13 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ब्रंगाल को अवगत करवाया गया।

| **क्रम संख्या** | **रजिस्टर/अभिलेख का नाम** |
|---|---|
| 1. | मोबाइल टाबर रजिस्टर |
| 2. | चल-अचल सम्पति रजिस्टर |
| 3. | निर्माण कार्यों का रजिस्टर |
| 5. | अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
| 6. | रसीद बुक रजिस्टर |
| 7. | खाताबही |

14 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के

अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

17 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)19/2018 खण्ड–1–2771.–2774 दिनांक23.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

**पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत ब्रगांल, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881